न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री नमित मेहता, आई.ए.एस.

राजस्व अपील : 29/2019

जी.सी.एम.एस. : 2019/00289

अपीलाण्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

कमला पत्नी श्री मानाराम पुत्री स्व. श्री जेठा, जाति भाट, निवासी 191, सुभाष नगर बी, पाली, तहसील पाली जिला पाली (राज.)

1. तहसीलदार भूमिधारी पाली तहसील पाली जिला पाली (राज.)
2. छगन पुत्र मोती, पौत्र स्व. जेठा, जाति भाट, निवासी डेण्डा, तहसील पाली, हाल निवासी 193, जोधपुर रोड़, सुभाष नगर बी, भटवाड़ा, पाली (राज.)
3. भंवरलाल पुत्र मोती, पौत्र स्व. जेठा, जाति भाट, निवासी डेण्डा, तहसील पाली, हाल निवासी 193, जोधपुर रोड़, सुभाष नगर बी, भटवाड़ा, पाली (राज.)
4. राधा पत्नी श्री कानाराम, पुत्री स्व. जेठा, जाति भाट, निवासी 238, सुभाष नगर, बी पाली, तहसील पाली जिला पाली
5. गीता ग्रेनाइट जरिये पार्टनर :–
   (1) श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री उगमाराम, जाति जाट, निवासी जाजडो की ढ़ाणी, भावसिया, तहसील परबतसर, जिला नागौर
   (2) श्रीमती सुशीला पत्नी श्री श्यामलाल, जाति सैन, निवासी गवाड़, ग्राम पोस्ट जसवन्तावाद, जसनगर, तहसील रियाबड़ी, जिला नागौर
6. पुष्पा पत्नी बागाराम, जाति भाट, निवासी डेण्डा, तहसील पाली जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव
रेस्पो.संख्या 02 की ओर से सरकारी पैरोकार, रेस्पो. संख्या 02,03,04 की ओर से भंवरसिंह चुण्डावत व रेस्पो. सं. 5/1, 5/2 की ओर से अशोक अरोड़ा

–: निर्णय :–

दिनांकः– 19-10-2022

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2041 दिनांक 22.10.2009/2001 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि सरहद मौजा डेण्डा, पटवार हल्का डेण्डा, तहसील पाली जिला पाली में खसरा संख्या 294 रकबा 05 बीघा किस्म सेवज दोयम व खसरा संख्या 1046 रकबा 10.03 बीघा, किस्म बारानी अव्वल, कुल रकबा 15.03 बीघा कृषि भूमि स्थित है। जैर आराजी अपीलाण्ट के पिता स्व. श्री जेठा पुत्र श्री हीरा के खातेदारी की व कब्जा काश्त थी तथा अपीलाण्ट के पिता का उपयोग उपभोग था। जैर आराजी की भूमि अपीलाण्ट के पिता की कब्जा काश्त होने से अपीलाण्ट की पैतृक कृषि भूमि है। अपीलाण्ट के पिता स्व. श्री जेठा पुत्र श्री हीरा का देहान्त हो चुका है। उपरोक्त वर्णित खसरान में अपीलाण्ट के पिता के देहान्त के पश्चात अपीलाण्ट व उसके भाई मोती व रेस्पो संख्या 04 के नाम जैर अपील फौतेदगी नामान्तरण भरा जाना चाहिये था परन्तु स्व. श्री जेठा जी के पुत्र मोती की भी मृत्यु हो जाने से स्व. श्री जेठा जी पुत्र श्री हीरा जी के पौत्र रेस्पो संख्या 02 व 03 के नाम जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 2041 भरा गया, जो निरस्तनीय है। स्व.श्री जेठा पुत्र श्री हीरा जी के एक जायन्दा पुत्र स्व. मोती व दो पुत्रियां अपीलाण्ट कमला व रेस्पो सं. 04 राधा विधिक उत्तराधिकारी है। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। जैर नामान्तरकरण, रेस्पो. सं. 02 एवं 03 द्वारा जरिये बेचाण के खसरा संख्या 1046 रेस्पो. सं. 05 को व खसरा सं. 294 जरिये बेचाण के रेस्पों संख्या 06 पुष्पा को बेचाण कर दिया जो वर्तमान खातेदार है। उपरोक्त किये गये बेचाण प्रारम्भ से ही शून्य है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के हक अधिकार की भूमि को बेचाण करने का कोई हक अधिकार बेचाण कर्ता को नहीं था तथा उक्त बेचाण के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण भी शून्य है। रेस्पो. सं. 02 व 03 द्वारा चुपचाप अपीलाण्ट को बिना सूचना दिये जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज करवाया, जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट व रेस्पो. सं. 02 व 03 के पिता स्व. मोती व रेस्पो. सं. 04 मृतक स्व. श्री जेठा जी पुत्र श्री हीरा के विधिक उत्तराधिकारी है तथा हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस है। जब मृतक स्व. श्री जेठा पुत्र श्री हीरा के प्रथम श्रेणी के वारिसों में अपीलाण्ट व रेस्पो. सं. 04 पुत्रियां जीवित है तो रेस्पो. सं 02 व 03 के नाम भरा गया व तथ्य छुपाकर मिलावट करवाकर करवाया गया जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध है व प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। जैर अपील नामान्तरकरण अमल दरामद किये जाने से पूर्व भौतिक कब्जे की जाँच नहीं की गई। जैर अपील आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है व स्वयं व अपने काश्तकार से काश्त करते है। इस कारण से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जैर अपील नामान्तरकरण भरा गया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व किसी प्रकार के दस्तावेज की जाँच नहीं की गई ना ही मौके की स्थिति की जाँच की गई ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलाण्ट को नोटिस दिये बिना नामान्तरकरण जैर अपील पारित कर दिया गया। जैर अपील नामान्तरकरण के जरिये अपीलाण्ट के हितों को खत्म नहीं किया जा सकता, इस कारण से अपीलाण्ट अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। जैर अपील नामान्तरकरण से राईट व टाईटल तय नहीं होते है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण काबिले खारिज है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त RRD 1989 पृष्ट संख्या 45 एवं लिमिटेशन के संबंध में

जिला कलेक्टर, पाली

RRT 2001 (1), RRT 2005 (1) पृष्ट संख्या 589 पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार फरमाई जाकर जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02, 03, व 04 ने अपनी बहस के दौरान बताया कि जैर आराजी सम्पति पैतृक है, इसलिए यदि अपीलाण्ट को इनका हिस्सा दिया जाता है तो कोई एतराज नहीं है।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 5/1 व 5/2 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए बताया कि जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 2041 दिनांक 22.10.2001 को लगभग 21 वर्ष पश्चात चुनौती दी गई जबकि उक्त जैर आराजी के इससे पूर्व 05 बार आगे से आगे बेचाण होकर नामान्तरकरण खुल चुके है, इस जैर आराजी पर अपीलाण्ट का कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा है तथा अपीलाण्ट का पुत्री होने का कोई रेकर्ड एवं सबूत भी नहीं है, मौके पर वर्तमान में खनन लीज स्वीकृत होकर खनन कार्य शुरू है। इस सन्दर्भ में न्यायिक दृष्टान्त AIR 2008 sc (supp) 1025 कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। अपील में वर्णित नामान्तरकरण संख्या 2041 दिनांक 22.10.2001 में जेठा पुत्र हीरा भाट फौत होने पर स्वीकृत हुआ जिसमें लगभग 21 वर्ष बाद अपील पेश हुई है तथा अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का शपथ पत्र में भी अपील देरीना प्रस्तुत करने के कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित नही किये गये है। इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त AIR 2008 sc (supp) 1025 "It is true that a party is entitled to wait until the last day of limitation for filing an appeal But when it allows limitation to expire and pleads sufficient cause for not filing the appeal earlier, the sufficient cause must establish that because of some event or circumstance arising before limitation expired it was not possible to file the appeal within time. No event or circumstance arising after the expiry of limitation can constitute sufficient cause." अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित विलम्ब के उचित कारण दर्शित नहीं है। जैर आराजी फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज के पश्चात आगे से आगे बेचान हो चुके है। उक्त बेचान अपीलाण्ट के भाई रेस्पो. संख्या 02 व 03 के द्वारा ही किया गया है जो बेचान आगे से आगे पाँच बार होता गया है। अब इस अपील में अपीलाण्ट को हिस्सा दिये जाने पर रेस्पोडेण्ट द्वारा सहमति देना उनकी मंशा पर संशय उत्पन्न करता है।

अपीलाण्ट द्वारा अपील न्यायालय के समक्ष इतने विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नहीं दर्शाया है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट मयाद बाहर होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19-10-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली